



क्रमांक: 3744 / अका. / का.प. / 2015

रायपुर, दिनांक : 03 / 06 / 2015

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बारहवीं* बैठक बुधवार, दिनांक 10 जून, 2015 को अपरान्ह 03.00 बजे की विषयसूची

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 11.05.2015 एवं आपात बैठक 29.05.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना। (पृ.क्र. 11 से 11 तक)
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 11.05.2015 एवं 29.05.2015 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।
03. साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला के अंतर्गत लैंग्वेज लैब के लिए DGS&D दर पर 20 नग कम्प्यूटर क्रय करने के लिए विभागीय एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र. 12 से -- तक)
04. श्री नंद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त पटवारी को दिनांक 25.04.2015 से 24.10.2015 (छः माह) तक के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान किए जाने पर विचार करना।
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र. 13 से -- तक)
05. छ.ग. शासन के नियमानुसार संविदा आधार पर संचालक महाविद्यालय विकास परिषद् के पद पर डॉ. विभूति राय, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, जैविकी की सेवाएं एक वर्ष वृद्धि करने के संबंध में विचार करना।

टीप : कार्यालयीन आदेश क्र. 2203 / स्था. / सा.प्रशा. / 2014 दिनांक 30.05.2014 के द्वारा डॉ. विभूति राय, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् के पद पर संविदा आधार पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिये नियुक्ति की गई थी।

उपरोक्त आदेशानुसार डॉ. राय, सेवानिवृत्त प्रोफेसर ने दिनांक 06.06.2014 को संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् के पद पर पदभार ग्रहण किये हैं। तदनुसार इनकी एक वर्ष की अवधि दिनांक 05.06.2015 को पूर्ण हो रही है।

ज्ञात हो कि संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् का पद दिनांक 06.06.2015 से आगामी एक वर्ष के लिये संविदा से भरा जाना नितांत आवश्यक है, ताकि विश्वविद्यालय के इस विभाग का कार्य सुचारु रूप से संचालित हो सके।

डॉ. विभूति राय, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को दिनांक 06.06.2015 से आगामी एक वर्ष के लिये संविदा पर नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

06. विभागाध्यक्ष के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

टीप : विभागाध्यक्ष के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा निम्नलिखित महाविद्यालयों से प्राप्त है :-

विभागाध्यक्ष शिक्षा -

1. के.डी. रूंगटा कालेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, भिलाई
2. शैल देवी महाविद्यालय, ग्राम-अण्डा, जिला-दुर्ग

विभागाध्यक्ष के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा पटल पर रखी जाएगी।

07. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।


कुलसचिव

पृ. क्रमांक: 3745 /अका./का.प./2015
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : 03/06/2015

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



क्रमांक: 3600/अका./का.प./2015

रायपुर, दिनांक : 23/05/2015

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की दसवीं* बैठक सोमवार, दिनांक 11.05.2015 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. डॉ. रोहिणी प्रसाद	—	सदस्य
3. डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	—	सदस्य
4. डॉ. भगवंत सिंह	—	सदस्य
5. डॉ. एस.सी. नैथानी	—	सदस्य
6. डॉ. (श्रीमती) रमा पाण्डेय	—	सदस्य
7. श्री एस.के. चक्रवर्ती	—	सदस्य
8. प्रोफेसर दिनेश मरोठिया	—	सदस्य
9. श्री ललित सुरजन	—	सदस्य
10. श्री शिवरत्न शर्मा	—	सदस्य
11. श्री श्रीचंद सुंदरानी	—	सदस्य
12. श्री नवीन मार्कण्डेय	—	सदस्य
13. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	—	सचिव

कार्यवृत्त :

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 22.03.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 22.3.2015 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान की गई।
02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 22.03.2015 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।
निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 22.3.2015 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।
03. निःशक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वाहन भत्ता में वृद्धि के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्र. एफ 1-28/2014/सक/26 नया रायपुर, दिनांक 18 फरवरी, 2015 को अंगीकृत करना।
निर्णय : निःशक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वाहन भत्ता में वृद्धि करने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-28/2014/सक/26 नया रायपुर, दिनांक 18 फरवरी, 2015 को अंगीकृत करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

04. अनुग्रह राशि के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के आदेश क्रमांक 72/एल 2014-71-00331/वि/नि/चार नया रायपुर दिनांक 24 मार्च 2015 को अंगीकृत किये जाने के संबंध में विचार करना।
निर्णय : अनुग्रह राशि के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग के आदेश क्रमांक 72/एल 2014-71-00331/वि/नि/चार, नया रायपुर, दिनांक 24 मार्च, 2015 को अंगीकृत करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
05. क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 12.03.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन पर विचार करना।
निर्णय : क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 12.3.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।
06. मूल विज्ञान केन्द्र के लिए DGS&D दर पर 40 नग कम्प्यूटर क्रय करने के लिए विभागीय एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।
निर्णय : मूल विज्ञान केन्द्र के लिए DGS & D दर पर 40 नग कम्प्यूटर कुल लागत रु. 19,22,172/- (उन्नीस लाख बाइस हजार एक सौ बहत्तर रुपए) क्रय करने के लिए विभागीय एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करते हुए भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
07. विश्वविद्यालय की ओर से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए चयनित प्रतिभागियों की परीक्षा पुनः आयोजित किये जाने के संबंध में विचार करना।
निर्णय : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की ओर से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चयनित प्रतिभागियों की परीक्षा पुनः आयोजित करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
08. श्री नंद कुमार चक्रधारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को अध्ययन अवकाश की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
निर्णय : श्री नंद कुमार चक्रधारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 के नियम 42 के प्रावधानानुसार दिनांक 16.06.2015 से 15.01.2016 तक 07 माह, अध्ययन अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई।
09. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.04.2015 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।
निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.04.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।
10. वर्ष 2013 में नियुक्त शिक्षकों के स्थायीकरण के संबंध में विचार करना।
निर्णय : निम्नानुसार शिक्षकों को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित पदों पर दो वर्ष की परीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद स्थायीकरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई :

क्रमांक	नाम एवं पदनाम	पदभार ग्रहण तिथि	स्थायीकरण की तिथि
1	डॉ. श्रीमती कविता ठाकुर, प्रोफेसर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स	04.03.2013	04.03.2015
2	श्री लब्ध प्रभास, असिस्टेंट प्रोफेसर, जैविकी	04.03.2013	04.03.2015

11. अकादमिक स्टाफ कालेज की एडवाइजरी कमेटी की बैठक दिनांक 04.04.2015 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : अकादमिक स्टाफ कॉलेज की एडवाइजरी कमेटी की बैठक दिनांक 04.04.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

12. प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

निर्णय : निम्नलिखित महाविद्यालयों में प्राचार्य/विभागाध्यक्ष पद पर चयन समिति की अनुशंसानुसार महाविद्यालय के नाम के समक्ष उल्लेखित व्यक्तियों के नाम का अनुमोदन किया गया:

क्र.	महाविद्यालय का नाम	प्राचार्य
1	कोलंबिया कालेज प्लॉट नं. 97, ग्राम-टेकारी, पो.आ. मांढर, जिला-रायपुर	डॉ. लुभावनी त्रिपाठी
2	बी.एम. कालेज, कोलिहापुरी, दुर्ग, जिला-दुर्ग	डॉ. (श्रीमती) संतोष अग्रवाल
3	जी.डी. रूंगटा कालेज आफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, कोहका-कुरुद रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग	डॉ. सुभाष चंद्र श्रीवास्तव
4	श्री रावतपुरा सरकार संस्थान, कुम्हारी, जिला-दुर्ग	डॉ. अब्दुल सत्तार
5	श्री रावतपुरा सरकार कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नं. -129, ग्राम-धनेली, पो.-माना कैम्प, रायपुर	डॉ. संजीत कुमार साहू
6	कृति इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, ग्राम+पोस्ट-नरदहा, रायपुर	डॉ. निधि शुक्ला
7	कमला कांत शुक्ल इंस्टीट्यूट, प्लॉट नं.-2661/24, देवरी, भाटापारा	डॉ. वंदना चौहान
8	आर.आई.टी.ई.ई. कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नं.-483/1, पं.र.शु.विश्वविद्यालय जिम्नेशियम के सामने, डुमर तालाब, कांगेर वैली एकेडेमी, रायपुर	डॉ. सौम्या तिवारी
9	सांदिपनी एकेडेमी, अछोटी, प्लॉट नं. -44, तह.-धमधा, मुरमुंदा, जिला-दुर्ग	डॉ. (श्रीमती) सुजाता अतुल शर्मा
10	शिक्षा स्नातक महाविद्यालय, मांढर, जिला-रायपुर	डॉ. जयप्रकाश धीवर
11	समाधान कालेज, सर्वतोमुखी समाधन शिक्षण संस्कार समिति, ग्राम-फरी, पो.-बीजभाटा, जिला-बेमेतरा	डॉ. जुबराज खमारी (बायोडाटा प्राप्त होना शेष है।)
12	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एंड साइंसेस, देवमोग रोड, गरियाबंद	डॉ. सत्येन्द्र तिवारी (बायोडाटा प्राप्त होना शेष है।)
		विभागाध्यक्ष
13	दिशा कालेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, सत्यविहार, विधानसभा चंद्रखुरी मार्ग, बलौदाबाजार मार्ग, रायपुर	डॉ. विजय प्रकाश शर्मा (बायोडाटा प्राप्त होना शेष है।)

- (i) उपरोक्तानुसार अनुमोदन के फलस्वरूप संबंधित महाविद्यालयों के लिए प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के पद के लिए अनुशंसित व्यक्तियों के बायोडाटा निर्धारित न्यूनतम योग्यता पूरा करने के संदर्भ में पुनः परीक्षण करने के पश्चात् पत्र जारी किया जावे।
- (ii) क्रम संख्या 11, 12 एवं 13 के लिए चयनित अभ्यर्थियों/व्यक्तियों के संबंध में बायोडाटा मंगाकर न्यूनतम योग्यता पूरा करने के संदर्भ में परीक्षण कर पत्र जारी किया जावे।

पूरक विषयसूची

01. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 06.05.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।
निर्णय : भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 06.05.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।
02. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली (AICTE, New Delhi) द्वारा रिसर्च प्रमोशन स्कीम (RPS) के तहत Flash Purification system क्रय के संबंध में रु. 12,03,600/- (रु. बारह लाख तीन हजार छः सौ मात्र) विभागीय एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करना।
निर्णय : अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई-दिल्ली (AICTE, New Delhi) द्वारा रिसर्च प्रमोशन स्कीम (RPS) के तहत प्राप्त अनुदान से Flash Purification system अनुमानित लागत रु. 12,03,600/- (रु. बारह लाख तीन हजार छः सौ) विभागीय एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करते हुए भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
03. सेमेस्टर परीक्षा (स्नातकोत्तर) सत्र 2014-15 हेतु कुल 41 परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि रु. 11,20,000/- (रुपए ग्यारह लाख बीस हजार मात्र) भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
निर्णय : सेमेस्टर परीक्षा (स्नातकोत्तर) सत्र 2014-15 हेतु कुल 41 परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि रुपए 11,20,000/- (रुपए ग्यारह लाख बीस हजार मात्र) भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
04. विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह एवं सामुदायिक भवन के आबंटन एवं किराया निर्धारण के संबंध में विचार करना।
निर्णय : विश्वविद्यालय सामुदायिक भवन के आबंटन एवं किराया निम्नानुसार निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान की गई :
1. विश्वविद्यालय परिसर में स्थित सामुदायिक भवन का आवंटन विश्वविद्यालय कर्मचारी/अधिकारियों के ब्लड रिलेशन से संबंधित (पिता/माता, पुत्र/पुत्री) कार्यक्रम के लिये आवंटन हेतु किराया एवं अन्य राशि निम्नानुसार निर्धारित करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

किराया प्रति दिवस	अमानत राशि रुपए	बिजली, पानी, साफ-सफाई शुल्क
12000/-	2000/-	2000/-

2. कुलपति के सक्षम अनुमति से विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से निर्धारित दर पर किराया राशि की आधी दर से अर्थात् 6000/- रुपए प्रति दिवस की दर से आवंटन किया जावेगा। अमानत राशि एवं बिजली, पानी, साफ-सफाई शुल्क सभी के लिए एक ही समान दर से निर्धारित किया जावे।
3. प्रेक्षागृह के संबंध में प्रकरण बाद में प्रस्तुत किया जावे।
05. पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन, पुनः पुनर्मूल्यांकन एवं लिखित उत्तर पुस्तिका के निर्धारित शुल्क में वृद्धि करने के संबंध में विचार करना।
- निर्णय : पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन, पुनःपुनर्मूल्यांकन एवं लिखित उत्तरपुस्तिका के शुल्क का निर्धारण निम्नानुसार करने की स्वीकृति प्रदान की गई :
1. पुनर्गणना- प्रति उत्तरपुस्तिका रूपये 50/-
 2. पुनर्मूल्यांकन - प्रति उत्तरपुस्तिका रूपये 250/- (पुनर्मूल्यांकन अधिकतम 02 उत्तरपुस्तिका)
 3. लिखित उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदान करने के लिए प्रति उत्तरपुस्तिका रूपये 400/-
 4. पुनःपुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति उत्तरपुस्तिका रूपये 500/- (यथावत)
06. वर्ष 2016 की परीक्षा के आवेदन आनलाइन से प्राप्त करने एवं रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य के लिए प्राप्त निविदा पर विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।
- निर्णय : वर्ष 2016 की परीक्षा के आवेदन ऑनलाइन से प्राप्त करने एवं रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य के लिए प्राप्त निविदा पर विभागीय एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसानुसार मेसर्स, लर्निंग स्पाइरल प्रा.लि. 3-ए आकलैंड प्लेस 5th Floor Suite-5B कोलकाता को उनके द्वारा निम्नानुसार उल्लेखित न्यूनतम दर पर रिजल्ट प्रोसेसिंग एवं ऑनलाइन कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

A-1

Particulars	
Online submission of Enrolment Form for Regular student/Exam Form/Supplementary Form/Revaluation Form etc. All payments through online generated Bank Reconciliation, Fee calculation etc. (with photographs)	Rs. 02.40

A-2

Particulars				Total Amount
Pre-Examination Work including all reports, internet display, web space hiring charges etc.	Post-Examination Work including all reports, internet display, web space hiring charges etc.	Revaluation Work including all reports, internet display, web space hiring charges etc.	Supplementary Examination including all reports, internet display, web space hiring charges etc.	
Rs. 05.95	Rs. 06.25	Rs. 06.10	Rs. 06.25	24.55

07. फर्नीचर क्रय करने हेतु MOU/Rate Contract करने के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।
निर्णय : प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि एक बार पुनः परीक्षण करा लिया जावे।
08. वर्ष 2006-2009 की मुद्रित उपाधियों में कुलपति के मूल हस्ताक्षर की स्केन कापी अथवा मूल हस्ताक्षर की रबर स्टेम्प लगाकर उपाधि जारी करने के संबंध में विचार करना।
निर्णय : वर्ष 2006-2009 की मुद्रित उपाधियों में कुलपति के मूल हस्ताक्षर की स्केन कापी अथवा मूल हस्ताक्षर की रबर स्टेम्प लगाकर उपाधि जारी करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
09. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.05.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।
निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.05.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।
10. छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण कराने का देयक रु. 77,22,000/- (रुपए सतहत्तर लाख बाईस हजार मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।
निर्णय : छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तरपुस्तिका मुद्रण कराने के उपरांत प्रस्तुत देयक रुपये 77,22,000/- (रुपये सतहत्तर लाख बाईस हजार मात्र) का 10 प्रतिशत रोककर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
11. वार्षिक परीक्षा 2015 के ऑनलाइन परीक्षा फार्म भराने के कार्य का देयक राशि रु. 08,53,331=50 (रु. आठ लाख तिरपन हजार तीन सौ इकत्तीस मात्र) में. ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा.लि. इंदौर को भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।
निर्णय : वार्षिक परीक्षा 2015 के ऑनलाइन परीक्षा फार्म भराने के कार्य के फलस्वरूप मेसर्स, ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा.लि. इंदौर से प्राप्त देयक राशि रुपए 08,53,331=50 (रु. आठ लाख तिरपन हजार तीन सौ इकत्तीस मात्र) में 20 प्रतिशत रोककर, भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
12. वार्षिक परीक्षा 2015 के परीक्षा पूर्व किये गये डाटा प्रोसेसिंग कार्य का देयक राशि रु. 17,99,206=64 (रुपए सत्रह लाख निन्यानबे हजार दो सौ सात मात्र) में. ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा.लि. इंदौर को भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।
निर्णय : वार्षिक परीक्षा 2015 के परीक्षा पूर्व किये गये डाटा प्रोसेसिंग कार्य के लिए मेसर्स, ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा.लि. इंदौर द्वारा प्रस्तुत देयक राशि रुपये 17,99,206=64 (रुपए सत्रह लाख निन्यानबे हजार दो सौ छः मात्र) के भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

13. शासकीय जे.योगानंदम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर को वाणिज्य विषय में शोध केन्द्र की मान्यता देने के संबंध में विचार करना।
निर्णय : शासकीय जे.योगानंदम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर को दो वर्ष के लिए वाणिज्य विषय में शोध केन्द्र की मान्यता देने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। दो वर्ष के बाद समीक्षा करने के उपरांत पुनः प्रस्तुत किया जाय। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शोध केन्द्रों में विनियम 107 की कंडिका-8 के अनुसार उपलब्ध सुविधा एवं शिक्षकों के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त कर समीक्षा की जावे।
14. बैचलर ऑफ वोकेशन कोर्स (B.Voc.) के अध्यादेश एवं इससे संबंधित रेगुलेशन के अनुमोदन पर विचार करना।
निर्णय : बैचलर ऑफ वोकेशन कोर्स (B.Voc.) के अध्यादेश एवं इससे संबंधित रेगुलेशन का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण :


1. विश्वविद्यालय परिसर में एन.सी.सी. एयरविंग कार्यालय के लिए स्थान आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई।
2. प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व अध्ययनशाला के द्वारा छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व से संबंधित विभिन्न आयामों के छायाचित्रों, प्रतिदर्शों एवं प्रतिकृतियों के माध्यम से प्रदर्शित करने संबंधी प्रस्ताव पर संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व रायपुर-छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 233/स.पु./उत्ख.सर्वे./2015 रायपुर दिनांक 06.05.2015 के अनुसार "धरोहर झरोखा" स्थापित करने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।
3. विश्वविद्यालय के कैम्पस एरिया नेटवर्क में 200 I/O Node पर पूर्ण रूप से 1 Gbps Connectivity प्रदान करने के लिए आवश्यक सामग्री क्रय करने एवं Installation के संबंध में अनुमानित लागत का राशि रु. 9,26,086.00 (नौ लाख छब्बीस हजार छियासी रुपए) का RSU-CAN Steering Committee, विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करते हुए भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।


4. विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ द्वारा विभिन्न मांगों के संबंध में दिये गये ज्ञापन पर चर्चा हुई। चर्चा उपरांत विभिन्न बिंदुओं के परीक्षण कर निराकरण करने हेतु निम्नानुसार कार्यपरिषद् सदस्यों की उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया गया :

- | | | |
|-----------------------|---|---------|
| 1. श्री ललित सुरजन | — | अध्यक्ष |
| 2. श्री शिवरतन शर्मा | — | सदस्य |
| 3. श्री नवीन मारकंडेय | — | सदस्य |
| 4. श्री एस.आई शाह | — | सदस्य |
| 5. डॉ. भगवंत सिंह | — | सदस्य |
| 6. डॉ. जे.एल. गंगवानी | — | संयोजक |

5. कार्यपरिषद् की बैठक में पारित महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर कार्यवाही सुनिश्चित किया जावे।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष



कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक: 3601 / अका. / का.प. / 2015

रायपुर, दिनांक : 23 / 05 / 2015

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
5. समस्त प्रभारी अधिकारी
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) ९

क्रमांक 3736 / अका./ का.प./ 2015

रायपुर, दिनांक : 3 / 06 / 2015

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की ग्यारहवीं* बैठक (आपात) शुक्रवार, दिनांक 29 मई, 2015 को अपरान्ह 03:00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	-	अध्यक्ष
2.	डॉ. रोहिणी प्रसाद	-	सदस्य
3.	डॉ. एम. डब्ल्यू. वाय. खान	-	सदस्य
4.	डॉ. भगवंत सिंह	-	सदस्य
5.	डॉ. एस.सी. नैथानी	-	सदस्य
6.	डॉ. (श्रीमती) रमा पाण्डेय	-	सदस्य
7.	डॉ. पी.सी. अग्रवाल	-	सदस्य
8.	श्री एस.के. चक्रवर्ती	-	सदस्य
9.	प्रोफेसर (डॉ.) दिनेश भारोठिया	-	सदस्य
10.	श्री ललित सुरजन	-	सदस्य
11.	श्री श्रीचंद सुंदरानी	-	सदस्य
12.	श्री नवीन मार्कण्डेय	-	सदस्य
13.	श्री सत्यनारायण शर्मा	-	सदस्य
14.	श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	-	सचिव

-: कार्यवृत्त :-

विषय क्रमांक-1 विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 11.05.2015 में विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ द्वारा प्रेषित मांग पत्र में उल्लेखित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा के उपरांत परीक्षण कर निराकरण हेतु गठित उपसमिति की अनुशंसा पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 11.05.2015 में विश्वविद्यालयकर्मचारी संघ द्वारा प्रेषित मांग पत्र में उल्लेखित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा के उपरांत परीक्षण कर निराकरण हेतु गठित उपसमिति की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक-2 विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 28.05.2015 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।


निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 28.05.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। इनके साथ निर्णय लिया गया कि ऐसे महाविद्यालय जिनका निरीक्षण के बाद परफारमेंस इंडेक्स 0.5 अथवा इससे कम है उसे कारण बताओ नोटिस दिया जाए कि, क्यों न उनके महाविद्यालय में संचालित सभी पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश, सत्र 2015-16 के लिए प्रतिबंधित किया जावे ?


बी.एड् से संबंधित महाविद्यालयों के निरीक्षण उपरांत परफारमेंस इंडेक्स एवं शिक्षकों की जानकारी NCTE एवं SCERT को दिया जावे, ताकि वे मान्यता के संबंध में निर्णय लेकर विश्वविद्यालय को जानकारी दे सके।

विषय क्रमांक-3 अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।

- निर्णय: (1) विश्वविद्यालय कर्मचारियों को छ.ग. शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय का आदेश क्रमांक 155/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 26 मई, 2015 के अनुसार पुनरक्षित वेतनमान प्राप्त कर रहे शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2015 से 113 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- (2) विश्वविद्यालय कर्मचारियों को छ. ग. शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय का आदेश क्रमांक 158/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 26 मई, 2015 के अनुसार पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन/ परिवार पेंशन पर दिनांक 01.01.2015 से 113 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- (3) छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक 145/एफ/2015-21-00650/वि/नि/चार नया, रायपुर, दिनांक 14 मई, 2015 में चिकित्सा भत्ता सुविधा संबंधी दी गई वित्त निर्देश को अक्षरशः अंगीकृत करते हुए यह सुविधा विश्वविद्यालय के सभी (कर्मचारियों/अधिकारियों/ शिक्षकों) को दिये जाने की स्वीकृति दी गई।
- (4) विश्वविद्यालय में संविदा पर नियुक्त अधिकारियों के प्रकरण के संबंध में विचार-विमर्श पश्चात् सर्व-सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-
1. विश्वविद्यालय के शिक्षकों से विभागाध्यक्षों के माध्यम से पत्र लिखकर प्रशासनिक पद पर कार्य करने हेतु सहमति प्राप्त किया जावे यदि सहमत हो तो उन्हें प्रशासन में संविदा अधिकारियों के स्थान पर प्रशासनिक कार्य हेतु पदस्थ किया जावे।
 2. क्रम संख्या 01 में विश्वविद्यालय शिक्षकों को सहमति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन को उपकुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव के रिक्त पद पर शीघ्र पदस्थापना करने हेतु पत्र लिखा जावे। नियमित नियुक्ति नहीं होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना करने हेतु निवेदन किया जावे।
 3. उपरोक्त व्यवस्था होने तक संविदा पर अधिकारियों से सेवाएँ ली जावे ताकि विश्वविद्यालय प्रशासन का कार्य प्रभावित न हो।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

प्रतिलिपि :- 1. माननीय कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।

2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर


1. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को ।

4. जनसम्पर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,

5. वित्त अधिकारी / प्रभारी अंकेक्षण,

6. समस्त विभागीय अधिकारी,

7. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


उपकुलसचिव (अका.)

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :- साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला के अंतर्गत लैंग्वेज लैब के लिए DGD&D दर पर 20 नग कम्प्यूटर क्रय करने के लिए विभागीय एवं केन्द्रीय कय समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना ।

विश्वविद्यालय के साहित्य एवं भाषा विज्ञान अध्ययनशाला में लैब स्थापित किया जाना है, जिसके लिए 20 नग कम्प्यूटर का क्रय किया जाना है । लैब स्थापित करने के लिए साहित्य एवं भाषा विज्ञान अध्ययनशाला को 20 नग कम्प्यूटर क्रय कर आबंटित किया जाना है ।

DGS&D द्वारा Item Code No. 52 Configuration AMD A10, Operating System Linux Chipset A7 Series Rs. 35,366=00 सेल्स टैक्स 5% पृथक से देय होगा, प्रति नग निर्धारित किया गया है ।

विभागीय कय समिति एवं केन्द्रीय कय समिति द्वारा **HCL Infocsystem Ltd.** नोएडा के अधिकृत डीलर मे० विनायक इंटरप्राइजेस, तेलीबांधा, रायपुर से साहित्य एवं भाषा विज्ञान अध्ययनशाला के लैब के लिए 20 नग कम्प्यूटर क्रय करने हेतु अनुशंसा किया गया है, जिस पर रू० 7,42,686=00 टैक्स सहित व्यय होगा ।

अतः साहित्य एवं भाषा विज्ञान अध्ययनशाला के लैब के लिए विभागीय एवं केन्द्रीय कय समिति द्वारा किये गए अनुशंसा के संदर्भ में 20 नग कम्प्यूटर क्रय करने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

slw
3-6-15

कार्यालयीन टीप

विषय : श्री नंद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त पटवारी को दिनांक 25.04.2015 से 24.10.2015 (छः माह) तक के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान किए जाने पर विचार करना।

=00=

टीप : श्री नंद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त पटवारी को विश्वविद्यालय के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि संबंधी कार्यों, नजूल विभाग से दस्तावेज एवं जानकारी प्राप्त करने तहसील न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय में भूमि संबंधी दायर किए गए प्रकरणों पर पेशी में लगातार उपस्थित होने तथा सीमांकन संबंधी कार्य हेतु दिनांक 25.10.2014 से छः माह के लिए प्राप्त अंतिम वेतन से उन्हें प्राप्त पेंशन (तत्समय देय राहत के साथ) की राशि घटाकर संविदा नियुक्ति प्रदान की गई थी, जिसकी अवधि दिनांक 24.04.2015 को समाप्त हो गई है।

वर्तमान में विश्वविद्यालय के भूमि संबंधी निम्नलिखित कार्यों हेतु श्री नंद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त पटवारी की सेवाओं की आवश्यकता है –

1. न्यायालय आयुक्त के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय की भूमियों का पुनः सीमांकन कराए जाने संबंधी कार्य हेतु
2. कोटा स्टेडियम से संबंधित कलेक्टर कार्यालय सीलिंग शाखा से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने एवं संबंधित प्रकरण के निराकरण हेतु।
3. विश्वविद्यालय परिसर के चारों ओर शेष बचे चारदीवारी के निर्माण हेतु सीमाचिह्न की जानकारी दिए जाने हेतु।
4. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में चल रहे प्रकरणों पर न्यायालयीन कार्यवाही किए जाने हेतु।

अतः उपरोक्त कार्यों के संपादन हेतु श्री नंद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त पटवारी को दिनांक 25.04.2015 से 24.10.2015 (6 माह) तक के लिए संविदा पर नियुक्त किए जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।